पर्यटन निदेशालय/उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय के वर्ष 2011–12 से मार्च 2023 तक

लम्बित ऑडिट प्रस्तरों का संक्षिप्त विवरणः–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	महालेखाकार कार्यालय का पत्र/दिनांक, जिससे ऑडिट प्रस्तर भेजे गये।	प्रस्तर संख्या एवं विवरण	भाग	धनराशि	महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित अनुपालन आख्या से सम्बन्धित कार्यालय का पत्र सं0/दि0	महालेखाकार कार्यालय द्वारा निस्तारित/लम्बित	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2011–12	पत्र सं0–ए0एम0जी0 सं0–03/2011–12/1094, दिनांक–22.03.2012	**प्रस्तर–1ः–** धनराशि रू0 222.37 लाख शासन के बिना स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से व्यय किया जाना।	भाग–2(अ)	रू0 222.37 लाख	1– पत्र सं0–3696/2–3–190/2010/2012, दिनांक–27.02.2012. 2– पत्र सं0–1398/2–3–190/2018, दिनांक–24.07.2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालय :– पर्यटक आवास गृह हल्द्वानी
2	2011–12	–तदैव–	**प्रस्तर–2ः–** विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप निर्माण कार्य रू0 66.60 लाख व्यय के बावजूद भी उद्देश्यों की पूर्ति न होना, विगत 04 वर्षों से कार्य बन्द रहने से लागत में वृद्धि रू0 112.79 लाख	भाग–2(अ)	रू0 179.39 लाख	1– पत्र सं0–3696/2–3–190/2010/2012, दिनांक–27.02.2012. 2– पत्र सं0–1398/2–3–190/2018, दिनांक–24.07.2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालय :– तपोवन में 32 शैयाओ के आवासीय भवन
3	2011–12	–तदैव–	**प्रस्तर–1ः–** रू0 20.86 लाख 04 वर्ष 06 माह से अवरूद्ध रखना।	भाग–2(ब)	रू0 20.86 लाख	1– पत्र सं0–3696, दिनांक–27.020.2012 2–पत्र सं0–1398 दिनांक–24.07.2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालय :– आवासीय भवन यू0टी0डी0बी0
4	2012–13	पत्र सं0–सामायिक क्षेत्र/ले0प0प्रति0–06/2012–13/140, दि0 01–06–2012	**प्रस्तर–1 :–** कार्य समय पर प्रारम्भ न करवाने के कारण कार्य की कुल लागत में वृद्धि 144.40 लाख	भाग–2(ब)	रू0 144.40 लाख	1–पत्र सं0–1399/2–3–202/2011/2018–19 दिनांक–24.07.2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालय :– सुनहरीगाड, जनपद–टिहरी में 20 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह से सम्बन्धित।

5	2012–13	पत्र सं0–सामायिक क्षेत्र / ले0प0प्रति0–06 / 2012–13 / 140, दि0 01–06–2012	**प्रस्तर–2:–** विभागीय अदूरर्शिता के कारण रू0 49.06 लाख का अतिरिक्त व्यय, कार्य अद्यतन अपूर्ण।	भाग–2(ब)	रू0 49.06 लाख	1–पत्र सं0–1399 / 2–3–202 / 2011 / 2018–19 दिनांक–24.07.2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालय :– पर्यटन विकास की नई योजनान्तर्गत नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में प्लास्डा झील के पुनर्जीवीकरण एवं सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित।
6	2012–13	पत्र सं0–सामायिक क्षेत्र / ले0प0प्रति0–06 / 2012–13 / 140, दि0 01–06–2012	**प्रस्तर–3:–** बिना भूमि की उपलब्धता एवं विभागीय शिथिलता के कारण रू0 10 लाख, शासकीय धन का 13 वर्षों तक अवरोधन।	भाग–2(ब)	रू0 10.00 लाख	1–पत्र सं0–1399 / 2–3–202 / 2011 / 2018–19 दिनांक–24.07.2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालय :– मसूरी में बस पार्किंग के निर्माण से सम्बन्धित।
7	2015–16	––तदैव––	**प्रस्तर–2:–** 316.81 लाख का निष्फल व्यय।	भाग–2(अ)	रू0 316.81 लाख	––तदैव––	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– के0एम0वि0एन0 के 07 एवं जी0एम0वी0एन0 के 18 सूचना केन्द्र अर्थात् दोनों निगमों के 25 पर्यटक केन्द्र जो निर्माण के वर्ष 05 से 08 वर्षों से असंचालित है।
8	2015–16	––तदैव––	**प्रस्तर–3:–** 66.13 लाख का निष्फल व्यय एवं 231.96 लाख का अनियमित व्यय।	भाग–2(अ)	रू0 66.13 लाख	––तदैव––	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– विशेष पैकेज के अन्तर्गत मै0 फोर कन्सलटेन्ट को 05 निर्माण कार्यों हेतु डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु भुगतान किया जाना।
9	2015–16	––तदैव––	**प्रस्तर–2:–** 228.00 लाख बिना स्वीकृति के अन्य योजनाओं में स्थानान्तरित।	भाग–2(ब)	रू0 228.00 लाख	––तदैव––	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– पंचप्रयाग सर्किट को आवंटित धनराशि रू0–228.00 लाख बिना स्वीकृति के अन्या योजनाओं में स्थानान्तरित किया जाना।
10	2015–16	––तदैव––	**प्रस्तर–4:–** 108.49 लाख का अवरोधन।	भाग–2(ब)	रू0 108.49 लाख	––तदैव––	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– तेरहवें वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत ग0म0वि0नि0 एवं कु0म0वि0नि0 में कुल 24 शौचालयों हेतु सुलभ इन्टरनेशनल आरगेनाईजेसन को अवमुक्त धनराशि।
11	2016–17	प0सं0– आर्थिक अनुभाग–II / प्रतिवेदन संख्या–40 / 2016–17 / 719–721, दि0 09–09–2016	**प्रस्तर–1:–** कार्यदायी संस्था को सेंटेज चार्ज का अधिक रू0 40.60 लाख भुगतान।	भाग– 2(अ)	रू0 40.60 लाख	प0सं0–306 / 2–3–255 / 2015–16, दि0 10–11–2012 द्वारा संयुक्त सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत इको–टूरिज्म प्रोजेक्ट चीला कौड़ियाला, पंचप्रयाग एवं एबट माउण्ट हेतु डी0पी0आर0 हेतु मै0 फोर कन्सलटेंट एवं निर्माण इकाई के रूप में ग0म0वि0नि0 एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम को सैंटेज चार्जेज का भुगतान बढ़ी हुई दर पर)

12	2016—17	प0सं0— आर्थिक अनुभाग—II / प्रतिवेदन संख्या—40 / 2016—17 / 719—721, दि0 09—09—2016	**प्रस्तर—2:—** स्विस कॉटेजों के निर्माण पर रू0 59.33 लाख का निष्फल व्यय।	भाग— 2(अ)	रू0 59.33 लाख	प0सं0—3612 / 2—3—255 / 2016, दि0 15—01—2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः— पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हरिपुरा एवं नानक सागर रिसर्ववायर लोहाघाट नौकुचियाताल टूरिस्ट सर्किट में विभिन्न स्थानों में स्विस कॉटेज लॉगहट आदि के निर्माण पर बिना उपयोग किये ही पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण निष्फल व्यय।
13	2016—17	प0सं0— आर्थिक अनुभाग—II / प्रतिवेदन संख्या—40 / 2016—17 / 719—721, दि0 09—09—2016	**प्रस्तर—3:—** 03 परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन।	भाग— 2(अ)		प0सं0—3612 / 2—3—255 / 2016, दि0 15—01—2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः— अ—भवाली—हल्द्वानी वेलनेस सर्किट के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का उपयोग न होना :— 1— अप्रोच मार्ग उपलब्ध ना होने के कारण सृजित क्राफ्ट गॉव का प्रयोग ना होना। 2— भीमताल में निर्मित क्याकिंग सेंटर का उपयोग न होना। 3—घोड़ाखाल में निर्मित मेडिटेशन केन्द्र का उपयोग न होना।
14	2016—17	प0सं0— आर्थिक अनुभाग—II / प्रतिवेदन संख्या—40 / 2016—17 / 719—721, दि0 09—09—2016	**प्रस्तर—1:—** विभागीय लापरवाही से अपूर्ण कार्य पर रू0 500.00 लाख का अलाभकारी व्यय।	भाग—2(ब)	रू0 500.00 लाख	प0सं0—3612 / 2—3—255 / 2016, दि0 15—01—2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः— एफ0सी0आई0 अल्मोड़ा के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश रू0 200.00 लाख एवं राज्यांश रू0 300.00 लाख, कुल रू0 500.00 लाख का कार्य अपूर्ण होने से निष्फल व्यय।
15	2016—17	प0सं0— आर्थिक अनुभाग—II / प्रतिवेदन संख्या—40 / 2016—17 / 719—721, दि0 09—09—2016	**प्रस्तर—2:—**वित्तीयप्रबन्धन (अ) वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया जाना। (ब) केन्द्र सरकार के अप्रयुक्त राशि पर ब्याज रू0 3.59 करोड़ (स) केन्द्र पोषित योजना हेतु प्राप्त राशि का व्ययवर्तन एवं अवरूद्ध रहना।	भाग—2(ब)		प0सं0—306 / 2—3—255 / 2015—16, दि0 10—11—2017 द्वारा संयुक्त सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः— अ) वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया जाना। (ब) केन्द्र सरकार के अप्रयुक्त राशि पर ब्याज रू0 3.59 करोड़ (स) केन्द्र पोषित योजना हेतु प्राप्त राशि का व्ययवर्तन एवं अवरूद्ध रहना।
16	2016—17	प0सं0— आर्थिक अनुभाग—II / प्रतिवेदन संख्या—40 / 2016—17 / 719—72	**प्रस्तर—3:—** कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध राशि रू0 104.08 लाख।	भाग—2(ब)	रू0 104.08 लाख	प0सं0—3612 / 2—3—255 / 2016, दि0 15—01—2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः— भगवान—पिरान कलियर सर्किट एवं गंगोत्री—थराली सर्किट की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। भूमि अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ न होना।

		1, दि0 09–09–2016						
17	2016–177	प0सं0– आर्थिक अनुभाग–II / प्रतिवेदन संख्या–40 / 2016–17 / 719–72 1, दि0 09–09–2016	**प्रस्तर–4:–** अनुबन्ध गठित न करने से रू0 32.99 लाख के राजस्व की वसूली का न हो पाना।	भाग–2(ब)	रू0 32. 99 लाख	प0सं0–3612 / 2–3–255 / 2016, दि0 15–01–2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– भारत सरकार द्वारा सी0पी0ए0 योजनान्तर्गत Development of Eco-Tourism at Lansdowne.
18	2016–17	प0सं0– आर्थिक अनुभाग–II / प्रतिवेदन संख्या–40 / 2016–17 / 719–72 1, दि0 09–09–2016	**प्रस्तर–5:–** रू0 3599. 20 लाख व्यय के उपरान्त भी योजनाओं का अपूर्ण रहना।	भाग–2(ब)	रू0 3599.20 लाख	प0सं0–3612 / 2–3–255 / 2016, दि0 15–01–2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– सी0एफ0ए0 योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 से 2011–12 के मध्य 05 प्रोजेक्ट्स हेतु रू0 6686.56 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष रू0 4245.71 लाख अवमुक्त किये गये, जिससे सम्बन्धित कार्य अधिकतम नवम्बर, 2013 तक पूर्ण कर लिये जाने चाहियें थे। 05 प्रोजेक्ट्स पर रू0 3599.20 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्य समाप्ति की तिथि के 2–3 वर्षों बाद भी कार्य अपूर्ण थे।
19	2016–17	प0सं0– आर्थिक अनुभाग–II / प्रतिवेदन संख्या–40 / 2016–17 / 719–721, दि0 09–09–2016	**प्रस्तर–6:–** सुलभ शौचालय का निर्माण। (अ) सुलभ शौचालय का उपयोग न होनां (ब) उचित स्थान पर शौचालय का निर्माण न किया जाना।	भाग–2(ब)		प0सं0–3612 / 2–3–255 / 2016, दि0 15–01–2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– अ) सुलभ शौचालय का उपयोग न होनां (ब) उचित स्थान पर शौचालय का निर्माण न किया जाना।
20	2016–17	प0सं0– आर्थिक अनुभाग–II / प्रतिवेदन संख्या–40 / 2016–17 / 719–72 1, दि0 09–09–2016	**प्रस्तर–7:–** रू0 429.83 लाख की लागत से निर्मित फ्लोटिंग मैरिना का 01 वर्ष से अनुपयोगी रहना।	भाग–2(ब)		प0सं0–3612 / 2–3–255 / 2016, दि0 15–01–2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः– भारत सरकार द्वारा सी0एफ0ए0 योजनान्तर्गत Development of Floating Marina with Budget Accommodation at Ghansali in Distt. Tehri हेतु रू0 499.80 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी पूर्ण करने की तिथि जून, 2015 (टेक1ओवर न किया जाना तथा 01 वर्ष से अनुपयोगी रहना)

21	2016—17	प0सं0— आर्थिक अनुभाग—II / प्रतिवेदन संख्या—40 / 2016—17 / 719—721, दि0 09—09—2016	**प्रस्तर—8:—**कार्य के निष्पादन में Lackadoirical Approach के रू0—28.92 लाख का निरर्थक व्यय।	भाग—2(ब)	रू0 28.92 लाख	प0सं0—3612 / 2—3—255 / 2016, दि0 15—01—2018	लम्बित	पर्यटन निदेशालयः— सी0एफ0ए0 योजनान्तर्गत Development of Int. –Eco Tourism Circuit (Bageshwar-Baijnath-Lohakhat) हेतु रू0 640.00 लाख की प्रथम किश्त अवमुक्त की गई। कार्य पूर्ण (दिसम्बर, 2013) फरवरी, 2013 तक रू0 224.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। यू0टी0डी0बी0 द्वारा भारत सरकार को वापस किया गया रू0 550.93 लाख। रू0 28.92 लाख का भुगतान मै0 फोर कन्सलटेंट को किया गया।
22	2019—20	आर्थिक अनुभाग—II / प्रतिवेदन सं0 101 / 2019—20, दिनांक—14.02.2020	**प्रस्तर—1:—** ए0डी0बी0 वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में एक वर्ष की देरी के कारण शासन पर Financing Charges मद पर ₹ 435.50 लाख का अतिरिक्त व्ययभार	भाग—2(अ)	₹ 435.50 **लाख**	पं0सं0—833 / 2—3—306 (II) / 2019—20, दिनांक—24.07.2020	लम्बित	पूर्व प्रेषित आंकडे सही है, इस में कोई भिन्नता नही है। पुनः ए0डी0बी0 की विस्तृत PCR रिपोर्ट बुक की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है।
23	तदैव	तदैव	प्रस्तर—2:— **लीज रेन्ट की वसूली के लिये कोई प्रभावी कदम न उठाने के कारण** ₹ 5.71 **करोड़ लीज रेन्ट की वसूली लम्बित रहना।**	तदैव	₹ 5.71 **करोड़**	—तदैव—	लम्बित	मुख्यालय स्तर से समय—समय पर लम्बित लीज रेन्ट की वसूली हेतु दोनों निगमों को पत्रालेख्या प्रस्तुत किये गये है।
24			प्रस्तर—3:— **भारत सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित कर, अप्रयुक्त धनराशि को भारत सरकार को ब्याजसहित समर्पण अथवा किसी अन्य योजना मे समायोजित न कर,** ₹ 237.25 **लाख धनराशि को अवरुद्ध रखा जाना एवं निर्माण एजेंसी से अप्राप्त धनराशि** (₹ 137.25 **लाख**) **एवं देय ब्याज को प्राप्त न किया**	तदैव	₹ 237.25 **लाख**	—तदैव—	लम्बित	भारत सरकार को धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली उच्च स्तर पर गतिमान है। तथा अवशेष धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में दोनो निर्माण इकईयों से पत्राचार की कार्यवाही भी गतिमान है

			जाना।					
25	तदैव	तदैव	प्रस्तर–4:–**लीज पर दी गयी अचल सम्पत्तियों के अनुबन्धों का रजिस्ट्रीकरण न कराये जाने एवं निर्धारित स्टॉम्प शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण** ₹33.56 **लाख के राजस्व की हानि**	तदैव	₹33.56 **लाख**	–तदैव–	लम्बित	ट्रान्सफर ऑफ प्रापटी एक्ट की धारा 105 तथा उत्तर प्रदेश स्टाम्प एक्ट की धाराओं के क्रम में लीज की परिभाषा स्पष्ट की गई है। जिसके हरिद्वार में धोबीघाट पार्किंग जो कि संचालन एवं रख–रखाव के लिये दी गयी है से आच्छादित न होने के कारण इस पर स्टाम्प डियूटी एंव रजिस्ट्री की आवश्यक्ता नही है। इसी प्रकार पर्यटक अतिथि गृहों पर भी यही व्यवस्था लागू होती है।
26	तदैव	तदैव	प्रस्तर–5:– **वन भूमि का हस्तांतरण हुये बिना अनियमित रूप से निर्माण कार्य पर** ₹ 124 **लाख व्यय एवं धनराशि** ₹ 271.75 **लाख एवं उस पर अर्जित ब्याज को आठ वर्ष से अधिक समय तक अवरुद्ध रखा जाना।**	तदैव	₹ 271.75 **लाख**	–तदैव–	लम्बित	परिषद द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ भूमि हस्तान्तरण किये जाने हेतु नियमित पत्राचार किया जाता रहा है। वर्तमान में निरन्तर जिला प्रशासन से सम्बन्धित भूमि हस्तान्तरित किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल को व्यक्तिगत रूप से इस कार्य की जिम्मेदारी दी गयी है। यदि प्रस्तावित योजना हेतु भूमि उपलब्ध नही हो पाती है तो यथासमय धनराशि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय को वापस कर दी जायेगी।

27	तदैव	तदैव	प्रस्तर–2ः–₹ 4.26 **करोड़ धनराशि को चार वर्ष से आठ वर्ष तक अवरुद्ध रखा जाना एक वित्त पोषित योजनाओं की धनराशि के सापेक्ष बैंक से अर्जित व्याज** ₹ 8.25 **करोड़ कर धनराशि को भारत सरकार को समर्पण न कर राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जाना।**	तदैव	₹ 8.25 **करोड़**	–तदैव–	लम्बित	पूर्ण तथ्यों सहित सूचना संलग्न कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई है।
28	तदैव	तदैव	प्रस्तर–3ः– **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत फर्म को अनुचित लाभ पहुचाया जाना**	तदैव	–	–तदैव–	लम्बित	संस्था द्वारा किये जा रहे कार्य शौचालय निर्माण/सफाई का कार्य विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। जिसके कारण कुल आगणन एक करोड़ से कम होने के कारण Contingency के रूप में 5% एवं Centage Charge के रूप में 10% राशि का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 15 Implementation के रूप में भुगतान किया जाता है
29	तदैव	तदैव	प्रस्तर–8ः–**बिना प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किए** ₹ 100 **लाख (कर रहित) मूल्य की सेवाओं की अधिप्राप्ति एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी वसूल न किया जाना**	तदैव	₹ 100 **लाख**	–तदैव–	लम्बित	विभागीय सोशल मीडिया एजेन्सी के चयन की कार्यवाही सक्षम अधिकारी के संज्ञान में ही की गयी है, जिससे सम्बन्धित प्रमाण प्रस्तर के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये गये है।
30	2020–21	पत्र सं0–ए0एम0जी0–III ले.प.प्रति.सं. –34/2020–21/540 दिनांक–09.04.2021	प्रस्तर–1ः–₹103.9502 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों की अनियमित अधिप्राप्ति।	भाग–2(अ)	₹103.9502 करोड़	पं0सं0–2349/2–3–324/2021/2022–23, दिनांक–10.07.2023	लम्बित	पर्यटन निदेशालय, देहरादून के पत्र सं. –286/2–3–327/2023–24 दिनांक 25/11/2023 द्वारा अनुपालन आख्या अनुसचिव पर्यटन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रषित करते हुये अनुपालन आख्या को सचिव पर्यटन के हस्ताक्षरोपरान्त महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

31	2020—21	तदैव	प्रस्तर—2ः—₹30.55 करोड़ क विभागीय प्राप्तियों का शासकीय लेखे में जमा न कराया जाना व प्राप्तियों से ₹ 22.61 करोड का अनियमित व्यय।	भाग—2(अ)	₹ 30.55 करोड़	—	लम्बित	
32	2020—21	तदैव	प्रस्तर—2ः—₹ 39.11 करोड़ मूल्य की परिसम्पत्तियों का अनियमित रूप से पट्टे पर दिया जाना।	भाग—2(ब)	₹ 39.11 करोड़	पं0सं0—4506 / 2—3—324 2021 / 2022—23, दिनांक—25.09.2023	लम्बित	
33	2020—21	पत्र सं0—ए0एम0जी0—III ले.प.प्रति.सं. —34 / 2020—21 / 5 40 दिनांक—09.04. 2021	प्रस्तर—2ः—वीर चन्द्रसिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सहायता की धनराशि ₹ 288.55 लाख वितरण हेतु लम्बित रहना।	भाग—2(ब)	₹ 288.55 लाख	पं0सं0—4506 / 2—3—324 2021 / 2022—23, दिनांक—25.09.2023	लम्बित	
34	2020—21	पत्र सं0—ए0एम0जी0—III ले.प.प्रति.सं. —34 / 2020—21 / 5 40 दिनांक—09.04. 2021	प्रस्तर—3ः—डी0ए0वी0पी0 दरों का अनुसरण न करने के कारण ₹ 0.6596 करोड़ का निरर्थक व्यय।	भाग—2(अ)	₹ 0.6596 करोड़	पं0सं0—2349 / 2—3—324 / 2021 / 2022—23, दिनांक—10.07.2023	लम्बित	पर्यटन निदेशालय, देहरादून के पत्र सं. —286 / 2—3—327 / 2023—24 दिनांक 25 / 11 / 2023 द्वारा अनुपालन आख्या अनुसचिव पर्यटन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रषित करते हुये अनुपालन आख्या को सचिव पर्यटन के हस्ताक्षरोपरान्त महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
35	2020—21	पत्र सं0—ए0एम0जी0—III ले.प.प्रति.सं. —34 / 2020—21 / 5 40 दिनांक—09.04. 2021	प्रस्तर—4ः—डी0पी0आर0 में 03 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत की दर से Contigeency प्रभार का प्रावधान के परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 49.95 लाख की धनराशि का अदेय लाभ दिया जाना।	भाग—2(अ)	₹ 49.95 लाख	पं0सं0—2349 / 2—3—324 / 2021 / 2022—23, दिनांक—10.07.2023	लम्बित	पर्यटन निदेशालय, देहरादून के पत्र सं. —286 / 2—3—327 / 2023—24 दिनांक 25 / 11 / 2023 द्वारा अनुपालन आख्या अनुसचिव पर्यटन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रषित करते हुये अनुपालन आख्या को सचिव पर्यटन के हस्ताक्षरोपरान्त महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

36	2021—22 एवं 2022—23	पत्र सं0—ए0एम0जी0—III 2023-24/DIS-994625 दिनांक—03.08.2023	प्रस्तर—1ः—विभाग द्वारा लापरवाही बरतते हुये योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत ज्यादा धनराशि की परियोजना का स्वीकृत कराया जाना एवं उस पर स्वीकृति से ₹4.65 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया जाना ।	भाग—2(अ)	₹4.65 करोड़		लम्बित	
37	2021—22 एवं 2022—23	—तदैव—	प्रस्तर—2ः—उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना ₹3.51 करोड के अनियमित अनुबंध किया जाना।	भाग—2(अ)	₹3.51 करोड़		लम्बित	
38	2021—22 एवं 2022—23	—तदैव—	प्रस्तर—3ः—अचल सम्पत्तियों को लीज पर देते समय नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न लिये जाने एवं अनुबंध का रजिस्ट्रेशन न कराये जाने के कारण ₹39.25 लाख की राजस्व हानि।	भाग—2(अ)	₹39.25 लाख		लम्बित	
39	2021—22 एवं 2022—23	—तदैव—	प्रस्तर—4ः—विकास निगमों की दी गई परिसंपत्तियों के लीज रेंट न प्राप्त किया जाना।	भाग—2(अ)	—		लम्बित	
40	2021—22 एवं 2022—23	—तदैव—	प्रस्तर—5ः—22 वर्षों से उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 के अनुसार लेखा तथा वार्षिक आख्या तैयार न किया जाना।	भाग—2(अ)	—		लम्बित	

41	2021–22 एवं 2022–23	–तदैव–	प्रस्तर–6ः–22 संचालन के अभाव में ₹-80.10 करोड़ की परिसंपत्तियों का अलाभकारी रहना।	भाग–2(अ)	₹-80.10 करोड़		लम्बित	
42	2021–22 एवं 2022–23	–तदैव–	प्रस्तर–7ः–योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत ₹-6.60 करोड़ का अनियमित व्यय।	भाग–2(अ)	₹-6.60 करोड़		लम्बित	
43	2021–22 एवं 2022–23	–तदैव–	प्रस्तर–8ः–जारी धनराशि का पूर्ण उपयोग किए बिना शासन को पूरी धनराशि का गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना।	भाग–2(अ)	–		लम्बित	
44	2021–22 एवं 2022–23	–तदैव–	प्रस्तर–1ः–फ्लेक्सी शौचालय का निर्माण, संचालन और रखरखाव पर सुलभ इंटरनेशलन को ₹6.21 लाख का अधिक/अनुचित भुगतान।	भाग–2(ब)	₹6.21 लाख		लम्बित	
45	2021–22 एवं 2022–23	–तदैव–	प्रस्तर–2ः–सुलभ इंटरनेशनल के भुगतान से टीडीएस की कटौती न किया जाना तथा फार्म 26फ में प्रविष्ठी न किया जाना।	भाग–2(ब)	–		लम्बित	
46	2021–22 एवं 2022–23	–तदैव–	प्रस्तर–3ः–नियमों के अनुसार विभाग द्वारा अलग से TAN एवं GSTN प्राप्त न किया जाना एवं एक ही TAN व GSTN पर दो संस्था द्वारा उपयोग किया जाना।	भाग–2(ब)	–		लम्बित	

कुल लम्बित प्रस्तरः–(दिनांक–03.01.2024 तक) 46